भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2769
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

डिब्बाबंद खाद्य कंपनियां

2769. श्री गणेश सिंह:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री तापिर गाव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी, माल और सेवा कर, आयात और व्यापार संबंधी अन्य मामलों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए अग्रणी डिब्बाबंद खाद्य कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भागीदारी वाली कंपनियों की संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने, विशेषकर बढ़ते विकास, निर्यात, किसानों की आय और रोजगार के अवसरों के सृजन के संदर्भ में किए गए/किए जा रहे विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला परियोजनाओं और कृषि-प्रसंस्करण समूहों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं का ग्रामीण विकास, विशेषकर राजस्थान के झालावाड़-बारां जैसे क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र के विकास में उनका योगदान क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों जिसमें पैकेज्ड फूड सेगमेंट में बड़े, मध्यम और छोटे उद्यम शामिल हैं, के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, ताकि इस क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान और उनका समाधान किया जा सके। इन विचार-विमर्शों का उद्देश्य इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का पता लगाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। 6 और 7 नवंबर, 2024 को उद्योग प्रतिनिधियों और संघों के साथ हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गईं । उक्त हितधारक परामर्श में प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध** में संलग्न है ।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य विभिन्न पहलों और योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना

है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, अपशिष्ट को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना शामिल है।

(ग): 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना तथा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना सृजन की घटक योजनाओं की शुरुआत से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

घटक योजना का नाम	**स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपए में)**	**सृजित रोजगार**
मेगा फूड पार्क*	41	4631.13	1958.53	97491
एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना	399	11682.35	3009.71	239400
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का सृजन	76	2460.41	658.83	77496

*: मेगा फूड पार्क योजना को 01.04.2021 से केवल प्रतिबद्ध देयताओं के प्रावधान के साथ बंद कर दिया गया है।

पीएमकेएसवाई की उपरोक्त घटक योजना मांग आधारित है और इच्छुक लाभार्थी को दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना और अर्हता प्राप्त करना अपेक्षित है। इन योजनाओं के तहत आवेदकों को प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, जिनमें राजस्थान के झालावाड़-बारां क्षेत्र के आवेदक भी शामिल हैं, जो प्रत्येक योजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। हालाँकि, मेगा फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखलाऔर मूल्य संवर्धन अवसंरचना और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना के निर्माण के तहत राजस्थान के झालावाड़ और बारां जिलों में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

(घ): पीएलआईएसएफपीआई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2021 को ₹10,900 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी थी, जिसे 2021-22 से 2026-27 तक लागू किया जाना है। इस योजना के तहत कुल 171 आवेदकों को नामांकित किया गया है। सरकार द्वारा अब तक 85 पात्र मामलों में ₹1084.01 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। देश भर में 213 स्थानों पर अब तक ₹8910 करोड़ का निवेश किया गया है। योजना के लाभार्थियों द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के बाद 2,89,832 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

इस योजना ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाकर, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर, कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके देश की समग्र वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना बड़ी कंपनियों, मिलेट आधारित उत्पादों, नवीन और जैविक उत्पादों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को सहायता देती है, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देती है।

*****

अनुबंध

दिनांक 12.12.2024 को उत्तर हेतु "डिब्बाबंद खाद्य कंपनियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2769 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हितधारक परामर्श बैठकों में भाग लेने वाले उद्योग संघों की सूची:

1. भारतीय उद्योग परिसंघ
2. एसोसिएटिड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
3. अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करणकर्ता संघ
4. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल महासंघ
5. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
6. इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया
7. भारतीय डेयरी संघ
8. प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन

*****